

प्रेषक

रवीन्द्र जुयाल
प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

पत्र संख्या 45 T/C/9-1 दिनांक 28-01-11

सेवा में,

मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय : आदमखोर नर बाघ (टाइगर) का मारा जाना।

संदर्भ : कोसी राजि का पत्रांक 207/6 दिनांक 28.01.2011

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में इस वन प्रभाग के कोसी राजि में दिनांक 27.01.2011 को दिन में सांय 3 बजे वन कर्मचारियों द्वारा मारे गये आदमखोर बाघ की घटना से सम्बन्धित सूचना निम्न प्रकार है :-

भाग - प्रथम रिपोर्ट

1. वृत्त का नाम - पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
2. प्रभाग का नाम - रामनगर वन प्रभाग, रामनगर।
3. रेंज का नाम - कोसी
4. बीट का नाम - पश्चिमी कुनखेत बीट धुलवा क0सं0 11बी, (सुन्दरखाल)
5. बीट प्रभारी का नाम - श्री भगत सिंह, वन संरक्षक
6. घटना का स्थान, ब्लॉक, कक्ष, स्थल का नाम, सिविल क्षेत्र होने पर उसका विवरण, नक्शा - पश्चिमी कुनखेत बीट धुलवा क0सं0 11बी, आरक्षित वन क्षेत्र (नजरी नक्शा संलग्न है।)
N 29°30'00" E 79° 07.442"
7. घटना का प्रथम सूचना किसके द्वारा व कब दी गई - घटना की प्रथम सूचना वन क्षेत्राधिकारी, कोसी राजि द्वारा दिनांक 27.01.2011
8. मृत वन्य जीव की प्रजाति लिंग अनुमानित आयु, मृत्यु का दिनांक - बाघ, नर, अनुमानित आयु 9-10 वर्ष दिनांक, 27.01.2011
9. अन्य विवरण -
- i) नाक के अग्र भाग से पूँछ के अंतिम छोर तक लम्बाई - 2.70 मीटर।
- ii) कंधे तक की ऊँचाई तक माप - 1.15 मीटर
10. घटना का नजारीया नक्शा - संलग्न है।
11. घटना का उच्चाधिकारियों द्वारा निरीक्षण का दिनांक एवं समय - मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ एवं वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त द्वारा दिनांक 27.1.2011 को अपरान्ह में निरीक्षण किया गया।
12. पोस्ट मार्टम रिपोर्ट की तिथि - 28.01.2011
13. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुख्य बिन्दु - बाघ के शरीर पर 5 घाव मिले हैं। जिसमें एक पुराना तथा 4 ताजे निशान हैं। ये सभी घाव गोली लगने से हुये हैं।
14. विभागीय केश/पुलिस केश का विवरण (प्रति संलग्न करें) - विभागीय कार्यवाही के फलस्वरूप बाघ को मारा गया।
15. अधिकारियों द्वारा निरीक्षण का विवरण - अधिकारियों द्वारा निरीक्षण करने पर पाया गया कि बाघ के पिछले पैरों के पंजे बाधिन के पंजो जैसे हैं। जबकि अगले पैर के पंजे बाघ के पंजे जैसे दिखते हैं। बाधिन के शरीर पर ताजे घाव के अलावा एक पुराना जख्म है, जो लगभग भर चुका है। यह घाव दिनांक 11.01.2011 को कार्बेट टाइगर रिजर्व के वन कर्मचारियों द्वारा मद्यान से की गई फायरिंग के कारण हो सकता है। अधिकारीगण इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि यह बाघ ही वास्तव में कार्बेट टाइगर रिजर्व के संदिग्ध बाधिन है, जो इससे पूर्व तीन महिलाओं का शिकार इसी क्षेत्र में कर चुकी है।
16. फोटो ग्राफ्स - संलग्न हैं।

F:\Desktop\Tiger Death\23-05-2009 Kaladhungi Namai 8\death report Tiger (sady Killer) 27-01-2011.doc

हाधा उरि प्रभागी

प्रशासनिक अधिकारी
कार्बेट टाइगर रिजर्व
रामनगर (नैनीताल)